

केंद्र ने अवरोधन रिकॉर्ड खंडन हेतु IT नियमों में संशोधन किया

सरोत: इंडयिन एकसपरेस

सरकार ने गृह सचिव या केंद्र में अनुय नौकरशाहों को अवरोधन या डिक्रिपिट जानकारी के डिजिटिल रिकॉर्ड को नष्ट करने के निर्देश जारी करने की अनुमत देने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों में संशोधन किया है।

- अब तक, यह शक्ति **कानून प्रवर्तन निकायों** जैसी सुरक्षा एजेंसियों के पास ही हती।
- IT मंत्रालय द्वारा गजट अधिसूचना में उल्लखिति संशोधन में सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना के अवरोधन, निगरानी और डिक्रिप्शिन के लिये प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 की धारा 23 में संशोधन शामिल है।
 - ॰ विशेष रूप से "सुरक्षा एजेंसी" शब्द को **"सक्षम प्राधिकारी और सुरक्षा एजेंसी"** से प्रतिस्थापित कर दिया गया है, जिससे केंद्र को डिजिटिल साक्ष्य को नष्ट करने के लिये निर्देश जारी करने की वयापक शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं।
- कानून के नियम 23 में कहा गया है कि सूचना के अवरोधन, निगरानी या डिकरिप्शन से संबंधित इलेक्ट्<mark>रॉनिक सहित सभी</mark> रिकॉर्ड, सुरक्षा एजेंसियों दवारा परतयेक छह माह में नष्ट कर दिये जाने चाहिये, जब तक कि कार्यातुमक उददेशयों हेत<mark>ु आवश्यक न समझा जा</mark>ए। The Vision

और पढें: नए IT नियम

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/centre-amends-it-rules-for-interception-record-destruction